न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 42/2025 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1. मांगीलाल पिता कन्ना डांगी निवासी अमीरामा तहसील बड़ीसादड़ी
2. छोगालाल पिता कन्ना डांगी निवासी अमीरामा तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. लीला पत्नी मांगीलाल डांगी निवासी फाचर तहसील बड़ीसादड़ी
2. पार्वती पुत्री मांगीलाल पत्नी लाभचंद डांगी निवासी फाचर तहसील बड़ीसादड़ी
3. तहसीलदार बड़ीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री जी. एस. झाला वकील प्रार्थीगण

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा एक दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । कन्ना पिता दोला का एक पुत्र लाभंचद और थी जिसकी मृत्यु मोटर दुर्घटना में हो गयी है जिसकी शादी बचपन में विपक्षी लीलाबाई से हो गयी थी और विपक्षी लीला बाई ने अपने पति लाभंचद की मृत्यु के बाद फाचर अहिरान के मांगीलाल डांगी से नाता विवाह कर लिया है और विपक्षी पार्वती भी मांगीलाल की पुत्री है जो उसी के साथ रह रही है परन्तु राजस्व अभिलेखों में आराजी नम्बर 483 रकबा 0.0300 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 484 रकबा 0.1100 हैक्टैयर मे लीला बाई व पार्वती का नाम गलत दर्ज हो गया है तथा आराजी नम्बर 482 रकबा 0.0800 हैक्टेयर में भी इन दोनों विपक्षी गण का नाम दर्ज हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षी क 1 व 2 का नाम विलोपित कराने के अधिकारी है औंर चुंकि राजस्व अभिलेखों में विवादीत आराजीयात प्रार्थीगण के पिता कन्ना पिता दोला के नाम दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है इसलिए कन्ना पिता दोला के जगह राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण अपना नाम विरासत से दर्ज कराने के अधिकारी है । विपक्षीगण विवादित भूमि से प्रार्थीगण को अपने पिता के हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा विवादित आराजीयात खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं [illegible] वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है। मूल वाद में सुनवाई में [illegible] लगेगा तब तक विपक्षीगण प्रार्थीगणों को विवादित संपत्ति से बेदखल करे देंगे तथा प्रार्थीगणों का दा[illegible] करना बेकार हो जायेगा और भूमि अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देंगे इसलिये [illegible] इस प्रकरण के [illegible]न काल तक के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है। प्र[illegible]णों का प्रथम दृष्टया प्र[illegible], सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:39 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में है और अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगणों को हो रही है इसलिये प्रार्थीगण विपक्षीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगणों के विरूद्ध इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराई जावे कि विवादित भूमि से प्रार्थीगणों को जबरन बेदखल नही करें। विवादित भूमि रहन बय बक्षीश के माध्यम से किसी अन्य को हस्तान्तरीत नहीं करें मौके पर रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वकील प्रार्थीगण की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजीयात पुश्तैनी है। विपक्षीगण विवादित भूमि से प्रार्थीगण को अपने पिता के हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा विवादित आराजीयात खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि विवादित आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णय :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा अमीरामा पटवार हल्का अमीरामा की आराजी नं. 482, 483, 484 भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी • बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:39 IST
Reason: SelfAttested